

30 OCT 2009

जयपुर, दिनांक : 9-10-09

क्रमांक: प.9(15)राज-1/09/पार्ट/54

NV

अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम, 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर की तहसील जायल के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-4 में अंकित मजरी/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व गाँव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-5 के अनुसार होगा:-

क.स.	तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या	क्षेत्रफल (है० में)	दूरी (कि.मी. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जायल	तंवरा/2509	ढाकासर/350	223.24	2.0

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलेक्टर अभिलेखन संबंधी समस्त कार्य परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 3.10.07 के अनुसार निष्पादित कर राज्य सरकार को अवगत करायेगा।

आज्ञा से,  
(मूलचन्द मीणा)  
शासन उप सचिव

मि  
T  
03/10/09

जिले से प्राप्त हुआ है  
जात व



# कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर

दिनांक 24.2.10

क्रमांक : प-9 ( ) भू.अ./सां./2009/870-81

## -: आदेश :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : प. 9 (15) राज-1/2009 पार्ट /54 दिनांक 09.10.2009 के द्वारा जिले के निम्नांकित ग्राम जो कॉलम 3 में अंकित है, के समीप के मजरे/ढाणियों जो कॉलम 4 में अंकित हैं, को पृथक से नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है। अतः भविष्य में इन मजरे/ढाणियों को राजस्व गांव के रूप में माना तथा अनिलिखित किया जावेगा एवं इनका क्षेत्रफल वर्तमान गांव की कुल देह में से कम होकर कॉलम सं. 5 के अनुसार होगा :

क्र.सं.	तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या	क्षेत्रफल (हे0मे)	दूरी कि0मी0
1	2	3	4	5	6
1	जायल	तंवरा/2509	ढाकासर/350	223.24	2.0

नवीन राजस्व ग्राम के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अनिलेखों के अलग-अलग संघारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अनिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी, जायल, को अधिकृत किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, जायल, अनिलेखन संबंधी समस्त कार्य परिपत्र क्रमांक : प.9 (16) राज-1/07 दिनांक 03.10.2007 के अनुसार निष्पादित कर इस कार्यालय को अवगत करावेंगे।

जिला कलक्टर (भू.अ.)  
नागौर

दिनांक

क्रमांक : सम/

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबन्धक (भू.अ.) राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, \_\_\_\_\_।
4. उपखण्ड अधिकारी, जायल।
5. प्रमारी अधिकारी, \_\_\_\_\_।
6. विकास अधिकारी, पं.स., जायल।
7. तहसीलदार, जायल।
8. डी.आई.ओ., नागौर।
9. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, नागौर।
10. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

प्रमारी अधिकारी (भू.अ.)  
कलक्ट्रेट नागौर